

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 404]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 अगस्त 2010—श्रावण 12, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2010

क्र. 10-एफ-1-16-2010 अट्टारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 138 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 तथा 356 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (भवन/भूमि के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण) नियम, 1997, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 9 के अंतिम पैरा में शब्द "जल पुनर्भरण एवं भू-जल संवर्धन" के स्थान पर, शब्द "जल पुनर्भरण, भू-जल संवर्धन एवं धूसर जल के पुनर्चक्रण" स्थापित किए जाएं.

No. 10 F-1-16-2010-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 138 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Sections 355 and 356 read with Section 126 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Municipality (Determination of annual letting value of building/land) Rules, 1997, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 9, in the last paragraph, for the words "re-filling of water and land-water extension", the words "re-filling of water, land-water extension and grey water recycling" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, उपसचिव.